न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर

रिमाण्ड प्रकरण सं0 11/2016

(1) श्रीकिशन पुत्र जोरावर मल

(2) जगदीश पुत्र जोरावर मल

(3) कैलाशचंद पुत्र भागचंद

(4) अशोक पुत्र भागचंद

(5) लक्ष्मीनारायण पुत्र भागचंद

(6) संदीप पुत्र भागचंद

(7) गुलाबचंद पुत्र दीपचंद

(8) फूलचंद पुत्र दीपचंद

(9) सुभाष पुत्र माणकचंद (माणकचंद पुत्र दीपचंद)

(10) चंद्रप्रकाश पुत्र माणकचंद

(11) राजेन्द्र प्रसाद पुत्र माणकचंद

समस्त जाति महाजन निवासी बडगांव, तहसील व जिला, अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

(1) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।

(2) मन्दिर श्री महादेव जी महाराज (जिनके नाम उक्त भूमि जरिये नामा0 सं0 215 दर्ज की गई)

(3) देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज0) जरिये आयुक्त महोदय।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.09.20009 द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अजमेर
अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः–

1. श्री मौहम्मद इकबाल अभिभाषक (अपीलान्ट)
2. श्री .....अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

तहसीलदार
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
अजमेर

निर्णय

दिनांक-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

आज ग्राम बडगांव के नामान्तरकरण संख्या 215 दिनांक 01.09.2007 की स्वीकृति के लिये पत्रादि प्रस्तुत हुए। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खानपुरा तहसील, अजमेर ने दिनांक 03.08.2007 को देव स्थान विभाग के पत्रांक प.12(22)देव/91 जयपुर दिनांक 06.03.2003, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के पत्रांक 2278-96 दिनांक 19.03.2003, 9544-97 दिनांक 06.08.2007, 1673-82 दिनांक 20.03.2003 एवं 6148-227 दिनांक 08.08.2007 आदि के सन्दर्भ से ग्राम बडगांव के खसरा नं0 332 रकबा 01-14-10 किस्म चाही-1+, ख0न0 334 रकबा 00-05-10 किस्म चाही-1+, 451 रकबा 00-14-00 किस्म चाही-1 को मु0 धापू बेवा जोरावरमल श्रीकिशन, जगदीश पि0 जोरावरमल, मु0 गोदावरी बेवा भागचंद, कैलाश, अशोक, लक्ष्मीनारायण संदीप पि0 भागचंद, गुलाबचंद, फूलचंद, माणकचंद पि0 रविचंद कौम महाजन सा0 देह खातेदारान के बजाय मन्दिर श्री महादेव जी खातेदार के नाम दर्ज कराने हेतु नामान्तरकरण संख्या 215 भरकर पेश किया जिसको भू.अ.नि. की जांच उपरान्त तत्कालीन तहसीलदार (भू0अ0), अजमेर ने कलेक्ट्रेट आदेश एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 06.03.2003 की अनुपालना में दिनांक 01.09.2007 को स्वीकृत कर दिया।

खातेदार श्रीकिशन वगैरह द्वारा उक्त आदेश से आहत होकर माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर में ग्राम बडगांव के उक्त नामान्तरकरण संख्या 215 में दिनांक 01.09.2007 को किये गये निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें पक्षकारान की विधिवत् सुनवाई करने के पश्चात् माननीय न्यायालय, जिला कलेक्टर, अजमेर ने दिनांक 09.09.2009 को निर्णय पारित कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 215 में दिनांक 01.09.2007 के आदेश को यथावत् रखा। इससे रूष्ठ होकर अपीलान्ट ने एक अपील माननीय न्यायालय श्रीमान् संभागीय आयुक्त, अजमेर के यहां अपील संख्या 150/2009 उनवान श्रभकिशनग वगैरह वगैरह बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.09.2016 के द्वारा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर निर्णय पारित कर न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 09.09.2009 तथा तहसीलदार, अजमेर के

तहसीलदार
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
अजमेर

अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 215 दिनांक 01.09.2007 को निरस्त करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार, अजमेर को प्रतिप्रेषित किया कि दोनों पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे।

उक्त आदेश की पालना में पुनः हितबद्ध पक्षकारों को पृथक–पृथक सूचना भेजकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया एवं पटवारी हल्का से प्रकरण में वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का ने अपनी बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 06.10.2020 को प्रस्तुत की, जिसके अनुसार–मुताबिक वर्किंग जमाबंदी के खाता सं0 62 में दर्ज खसरा नं0 332, 334 व 451 खातेदार दीपचंद वल्द रिद्धकरण कौम महाजन सा. देह के बजाय जरिये नामा. सं. 139 में भंवरलाल के बजाय जरिये नामा0 सं0 215 दिनांक 01.09.2007 से मन्दिर श्रीमहादेवजी खातेदार के नाम दर्ज हुआ। मुताबिक ग्राम बडगांव के मिलान क्षेत्रफल वर्किंग ख0न0 332 रकबा 01–14–10 का हाल ख0न0 510 रकबा 0.28 व वर्किंग ख0न0 334 रकबा 00–05–10 के हाल ख0न0 508मि0 रकबा 0.05 तथा वर्किंग ख0न0 451 रकबा 00–14–00 के हाल ख0न0 507 रकबा 0.01 व 508मि0 रकबा 0.02 बने। उक्त आराजी के मौके पर ख0न0 507 पर ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल तथा ख0न0 508 पर विजय पुत्र कज्जा व ख0न0 510 के रकबे पर रामा पुत्र काना द्वारा काश्त की जा रही है। मुताबिक जानकारी उक्त आराजी पर काश्त कर रहे काश्तकारान को ठेका प्रणाली के तहत क्रमशः श्री फूलचंद पुत्र दीपचंद, सुभाष पुत्र माणकचंद को राशि दी जाती है। जबकि रामा पुत्र काना द्वारा कोई राशि नहीं दी जाती है। उक्त आराजी ख0न0 507, 508 व 510 के मौके पर कोई मन्दिर स्थित नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में भी किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन का अंकन दर्ज नहीं है।

दौराने बहस अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य तर्क दिया कि विवादग्रस्त आराजीयात के रेकॉर्डेड खातेदार भवंरलाल, मदनलाल व ज्ञानचन्द पुत्रान नन्दलाल कौम महाजन थे। इनके मध्य श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय अजमेर द्वारा पारित बंटवारा डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण सं0 14 दिनांक 30.01.96 को पृथक–पृथक आराजीयात अंकित की गई। उक्त बंटवारे के अनुसार विवादग्रस्त भूमि ख0न0 332 रकबा 01–14–10 ख0न0 334 रकबा 00–05–10 एवं 451 रकबा 00–14–00 कुल रकबा 02–14–00 बीघा ज्ञानचंद पुत्र नन्दलाल महाजन के हिस्से में आई जिनके द्वारा उक्त भूमि अपीलान्ट को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र सौंप दिया गया एवं अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 05.06.2003 स्वीकृत किया गया। तब से अपीलान्टस ही उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त

तहसीलदार
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
अजमेर

आराजीयात पूर्व विकेता के नाम दर्ज थी जो संलग्न मिसल बन्दोबस्त/जमाबंदी सन् फसरी 1349 तथा खतौनी बन्दोबस्त माफी भोम ग्राम बडगांव संवत् 2015 एवं अन्तिम चौसला जमाबंदी संवत् 2000–23 से सिद्ध है। उक्त आराजीयात कभी भी मन्दिर श्री महादेव के नाम रेकॉर्ड में दर्ज नहीं रही ना ही कभी मन्दिर मूर्ति श्री महादेव जी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा व काश्त ही रहा है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार मौके पर कोई मन्दिर अवस्थित नहीं है। अतः प्रस्तुत अभिलेख की पृविष्टियों, राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 एवं काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों, न्यायिक निर्णयों के दृष्टान्तों, राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 एवं इसकी पालना में राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.01.2010 के दृष्टिगत नामान्तरकरण संख्या 215 दिनांक 01.09.2007 स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाकर ख0न0 332, 334 व 451 के सम्बन्ध में उक्त नामान्तरकरण से पूर्व की स्थित को यथावत् बहाल किया जाता है। भू.अ.नि./पटवारी हल्का को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजकर नामान्तरकरण की परत पटवार की पुष्ट पर चस्पा करने के निर्देश दिये जाये। आदेश अमल दरामद किया जावे।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 25/06/21 को सुनाया गया।

(प्रीति चौहान)
तहसीलदार एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
अजमेर